(a) whether it a fact that the Prime Minister made an announcement during his visit to drought affected areas of Orissa for financial assistance of Rs. 1000 crores;

(b) if so, what is the total amount released so far in this regard; and

(c) if not, what are the reasons thereof and by when Government will release the entire assured amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) During his visit to the drought affected areas of Orissa the Prime Minister made an announcement to release an additional amount of Rs. 80 crores to the State during 1993-94 (i.e. Rs. 75 crores under Jawahar Rojgar Yojana (JRY) and Rs. 5 crores under Wasteland Development).

(b) and (c) The amount of Rs. 75 crores under JRY has since been released vide Ministry of Rural Development sanction letter No. V. 24015/18/93-RE-I dated 24th May, 1993. The amount relating to Wasteland Development has not been released since no project could be sanctioned to Orissa so far after the Prime Minister's visit to State.

उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा वित्तीय सहायता

4380. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश की जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उन संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं तथा सहायता की मात्रा कितनी-कितनी है;

(ख) इस वित्तीय सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है उन संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) जिन संस्थाओं के विरूद्ध दुर्विनियोग के मामले दर्ज किए गए हैं, उन संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इन संस्थाओं के विरूद्ध क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा उत्तर प्रदेश में मार्च, 1993 तक 1216 संस्थाओं को कुल 27.84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) से (घ) मानदंडों के अनुसार सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, निधियों की अंतिम रिलीज करने से पूर्व सभी संस्थाओं, जिनकी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है । उत्तर प्रदेश में अनियमितताओं के कारण 51 संस्थाओं को काली सूची में रखा गया है । जब भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, उन पर समुचित कार्यवाही की जाती है जिसमें उनके अनुदानों को रद्द करना, जहां कहीं आवश्यक हो, दण्डात्मक कार्रवाई करना और संगठन को भावी सहायता से वंचित करना शामिल है ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में पानी का घोर संकट

4381. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश के अकालग्रस्त गांवों में अधिकांश कुएं या तो बिल्कुल सूख गए हैं या उनमें बहुत कम पानी रह गया है जिसके परिणामस्वरूप उन गांवों में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है जहां पर ये कुएं ही पेयजल का एक मात्र स्रोत हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के इन गांवों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सूखे से प्रभावित गांवों में अतिरिक्त कुएं खोदने के लिए राज्य को किसी विशेष धनराशि का आवंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार राज्य में पेयजल की कमी का सामना कर रही जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित गांवों में पेयजल की विकट समस्या के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश जल निगम से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि राज्य के कुछेक जिलों में अपर्याप्त वर्षा होने की वजह से कुछ गांवों, जिनमें हैंडपंप/पाइप द्वारा जल सप्लाई योजना की सुविधा नहीं है, को विशेष रूप से गर्मी के महीनों के दौरान पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा, राज्य क्षेत्र के सामान्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करके तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिये आपदा राहत कोष की राशि का इस्तेमाल करके पेयजल की समस्या का समाधान किया जा रहा है ।

(ग) योजनावार अथवा अतिरिक्त कुओं की खुदाई के लिये विशेष निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में